

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण पर साझा अभियान

□ राजाराम भादू

प्रारंभिक शिक्षा लोकव्यापीकरण साझा मंच राजस्थान की एक बैठक दिनांक 26 जून, 1999 को दिगन्तर में संपन्न हुई।

मंच के संयोजक सत्येन चतुर्वेदी ने बैठक के आरंभ में मंच के गठन की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं को प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के साझे सरोकार के अन्तर्गत एकजुट करने के लिए मौजूदा मंच का गठन किया गया। मंच ने स्थापना के बाद से शिक्षा को राजनीतिक एजेन्डा में शामिल कराने और शिक्षा के प्रति मीडिया के संवेदनीकरण हेतु प्रयास किये हैं। शिक्षा को लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या सोच है? यह जानने के लिए मंच द्वारा प्रदेश के सभी सांसदों एवं विधायकों को एक प्रश्नावली भेजी गई थी। सत्येन ने बताया कि प्रश्नावली को जनप्रतिनिधियों ने कोई खास तबज्जो नहीं दी। इससे शिक्षा के प्रति उनका उदासीन रवैया पता चलता है।

मंच के मौजूदा स्वरूप के बारे में सत्येन ने बताया कि आठ लोगों का एक कोर-समूह है जो समस्त कार्यवाही का संचालन करता है।

नैनीताल बैठक, सिटीजन्स चार्टर और 'प्रथम' संस्था मुंबई द्वारा आयोजित बैठक

बैठक की कार्यवाही का पहला मुद्दा नैनीताल बैठक, सिटीजन्स चार्टर और मुंबई की संस्था 'प्रथम' द्वारा आयोजित बैठक की कार्यवाही से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराना था।

नैनीताल बैठक की जानकारी देते हुए रोहित धनकर ने बताया कि जैसा काम हम यहां इस मंच के जरिये करना चाहते हैं, वैसा ही काम राष्ट्रीय स्तर पर करने की बात नैनीताल बैठक में की गई थी। वहां यह महसूस किया गया था कि शिक्षा अभी तक राष्ट्रीय एजेन्डा का हिस्सा नहीं है और न ही शिक्षा को लेकर कोई व्यवस्थित संवाद है।

नैनीताल बैठक में 'एलीमेन्टरी एजुकेशन इन इंडिया : ए सिटीजन्स-चार्टर' पर चर्चा हुई। राजस्थान के संभागियों ने चार्टर पर अपने विचार व्यक्त किये तथा कहा कि वे राजस्थान में अपने साथियों के साथ 'चार्टर' पर बातचीत करके उन्हें अवगत करायेंगे।

इसके बाद बैठक में 'चार्टर' को लेकर बात हुई लेकिन यह पाया गया चूकि 'चार्टर' की पर्याप्त प्रतियां अभी नहीं मिली हैं, इसलिए इस पर व्यवस्थित बातचीत करना अभी संभव नहीं है।

सत्येन चतुर्वेदी ने बताया कि 'प्रथम' की मुम्बई बैठक में मंच की ओर से योगेन्द्र (बोध शिक्षा समिति) ने शिरकत की थी, इसलिए उसके बारे में बेहतर तो वही बता सकते हैं। (योगेन्द्र आज की बैठक में नहीं आये थे।)। वैसे उनकी जानकारी के अनुसार 'प्रथम' की बैठक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कराने के मुद्दे तक सीमित थी।

राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के मौजूदा परिदृश्य, सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों पर एक विवेचनात्मक दस्तावेज

'चार्टर' पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान रोहित ने कहा था कि 'चार्टर' में शिक्षण के तरीकों और शैक्षणिक पहलुओं पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। जबकि शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल बहुत अहम सवाल है। उरमूल से आये संभागी का कहना था कि निजी शिक्षण-संस्थाओं के बारे में 'चार्टर' कोई टिप्पणी नहीं करता। सत्यदेव बारहठ ने कहा कि उदार अर्थ व्यवस्था के शिक्षा पर बढ़ते दबावों का 'चार्टर' में जिक्र नहीं है। रोहित का यह भी कहना था कि गरीब बच्चों को 'अनौपचारिक शिक्षा' बनाम 'समान शिक्षा' जैसे मसलों पर सोचना होगा। 'समान शिक्षा' का मतलब 'शिक्षा की यांत्रिक एकरूपता' नहीं हो सकता। शिक्षा का प्रबंधन विकेन्द्रित हो और शैक्षिक उपक्रमों को वित्तीय मदद बिना शर्त दी जाये, यह बहुत जरूरी है।

इसके बाद इस मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा हुई कि मौजूदा 'साझा मंच' अभी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने पर केन्द्रित करे या शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दे को भी साथ लेकर चले।

अपरान्ह के सत्र में राजस्थान के मौजूदा प्रारंभिक शिक्षा परिदृश्य पर बोलते हुए रोहित धनकर ने कहा कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के फैलाव के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार हास हुआ है। मुख्यधारा की औपचारिक शिक्षा प्रणाली की जर्जरता ने वैकल्पिक कार्यक्रमों के लिए एक प्रकार की 'वैधता' उपलब्ध करा दी है। लोक जुम्बिश जैसी स्वायत्त विकेन्द्रित और अपेक्षाकृत अधिक जन भागीदारी वाली संस्थाओं को गतिरुद्ध कर डी पी ई पी

जैसी योजनाओं के जरिये शिक्षा में एकरूपता को स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं । जबकि इन खर्चीली योजनाओं के पीछे गंभीर शिक्षा चिंतन का नितान्त अभाव है ।

इसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर संभागियों के बीच लंबी चर्चा हुई । सदस्यों का मानना था कि शिक्षा में गुणवत्ता के सरोकार को पीछे नहीं रखा जा सकता । शिक्षा की गुणवत्ता ही समता मूलक जनतांत्रिक प्रणाली में जरूरी समालोचनात्मक दृष्टि और विवेकसम्मत निर्णय- प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है । इसलिए शिक्षा के व्यापक प्रसार और उसकी गुणवत्ता के मुद्दे साथ साथ चलेंगे ।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के मौजूदा परिदृश्य पर मंच द्वारा एक प्रारूप पत्र तैयार किया जाये जिसमें सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की विवेचना के अतिरिक्त भविष्य के लिए दिशा भी सुझायी गई हो । यह प्रारूप-पत्र बहस के लिए जारी किया जायेगा । प्रारूप-पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी रोहित धनकर को सौंपी गई ।

मंच का स्वरूप

संभागियों में से यह सुझाव दिया गया कि स्वैच्छिक संस्थाओं के अलावा व्यक्तियों को भी मंच से जोड़ा जाये । यह निर्णय लिया गया कि मंच के स्वरूप को लेकर एक पर्चा संयोजक सत्येन चतुर्वेदी तैयार करेंगे जिसे अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

भविष्य के लिए कार्यक्रम

आगामी लोकसभा चुनाव के अवसर को देखते हुए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए राजनेताओं पर किस तरह दबाव बनाया जाये, इस पर सत्येन का सुझाव था कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनसभाएं आयोजित की जायें । मंच से संबद्ध संस्थाएं ऐसी सभाएं आयोजित करने में पहल ले सकती हैं । रोहित का सुझाव था कि पंचायत-समिति के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करके उनसे शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा करें । जमीनी स्तर पर की गयी कार्यवाही जन-उद्वेलन में ज्यादा मददगार होगी ।

यह निर्णय लिया गया कि सत्येन चतुर्वेदी भविष्य के अभियान की एक कार्य योजना अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे । ♦